(3)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. शासन

R-3844-I/14

1. बारेलाल आयु 59 वर्ष बल्द स्व0 हजारीलाल राय,

2. श्रीमति गंगाबाई आयु 57 वर्ष पुत्री भगुन्ता राय पत्नि श्री बारेलाल दोनो निवासी ग्राम बलगोई तह0 व जिला टीकमगढ संभाग सागर म.प्र.

... पुनरीक्षणकर्तागण

।।विरूद्ध।।

म.प्र. शासन

..अनावेदक

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्तागण उक्त पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टीकमगढ प्र0क्र0 78बी-121 वर्ष 2013-14 (बारेलाल बगैरा विरूद्ध म.प्र. शासन) आदेश दि0 28.07.2014 से दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है :-

--0--

// प्रकरण के तथ्य//

यहाँ, पुनरीक्षणकर्ता क्र. 1 बारेलाल को मौजा बलगोई हल्का गुदनवारा प.ह.नं. 34 रा.नि.मं. तमरा विकासखंड टीकमगढ, तह0 व जिला टीकमगढ मे स्थित भूमि खसरा नं. 385,386/2 रकवा क्रमशः 0.910हे0 ,0.692,हे0 कुल रकवा 1.00 हेक्टे0 602 आरे भूमि का भूमिस्वामी हक्क प्रदान किए जाने का पट्टा म.प्र. शासन तहसीलदार टीकमगढ द्वारा रा.प्र.क्र. 933/6/अ वर्ष 1985-86 प्रदान कर राजस्व अभिलेख मे नाम दर्ज होने का आदेश दिया गयाथा एवं इसी प्रकार पुनरीक्षणकर्ता क्र. 2 गंगाबाई को मौजा बलगोई हल्का गुदनवारा प.ह.नं. 34 रा.नि.मं. तमरा.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3844—एक / 14 जिला टीकमगढ

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
06—01—15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री बी0डी0यादव उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना । 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 78 / बी—121 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 28—7—2014 का अवलोकन किया गया, जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3— अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त करने के पूर्व दायरा पंजी का समक्ष में अवलोकन कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक द्वारा इस निगरानी में प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राहय की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	